न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 25/2021

उनवान

जेठू पुत्र हरजी जाति भील नि0 ग्राम शेरगढ तह0 सरवाड जरियें पॉवर अर्टोनी होल्डर बरदा पुत्र भैरू जाति माली नि0 देराठू, नसीराबाद

––वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. नेमीचन्द,
2. शंकर,
3. नरेन्द्र पि0 बंशी,
4. नबा देवी पत्नी बंशी,
5. सम्पति,
6. जशोदा पि0 बंशी जाति मीणा नि0 राताखेडा, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित, 7 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :– दिनांक :–2/9/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राताखेडा प.म. बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.35 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी का 1/2 व प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने जाहिर किया कि वे वाद में मात्र विभाजन का अनुतोष चाहते है तथा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी 1 से 6 की सह खातेदारी की है। राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादी ने उक्त वाद मे विभाजन का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:27:01 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा का विभाजन होने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव के समय भी प्रस्तुत कर सकते है। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम राताखेडा प.म. बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.35 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य बाई मीटसं एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:27:01 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जेठू बनाम नेमीचन्द वगै

दावा बाबत – 53, 88, 188 राज का अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 25 / 2021
पेश करने की दिनांक – 22.02.21
बाद रिवीजन निस्तारण प्राप्त 14.06.23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक हीरालाल माली मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम राताखेडा प.म. बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 462 रकबा 0.35 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 2 माह 8 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:27:01 IST
Reason: SelfAttested